कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू।

(जिला विकास शाखा)

Phone No. 06562-224077,224033

E-mail - drdapalamu2019@gmail.com

आदेश

इस कार्यालय का ज्ञापांक 291/वि0, दिनांक 11.03.2020 के द्वारा श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय सांसद चतरा लोकसभा क्षेत्र के अनुशंसा के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद से पांकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर **Solar High Mast Light System** का आपूर्ति/अधिष्ठापन का कार्य हेतु दिनांक 10.03.2020 से 25.03.2020 तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी है, जिसे दिनांक 28.03.2020 को निस्तारित किया जाना था।

विदित है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का आदेश संख्या– 98 दिनांक 22.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को देखते हुए 31 मार्च 2020 तक राज्य में पूर्णतया तालाबंदी (Lock down) घोषित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में इस कार्यालय का ज्ञापांक 291/वि0,दिनांक 11.03.2020 के द्वारा निकाली गयी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी–सह–
उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक :– 37 /ग्रा0 दिनांक :– 26/03/20

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय सांसद, चतरा लोकसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/3/2020

जिला दण्डाधिकारी–सह–
उपायुक्त, पलामू।

Scanned with CamScanner